न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 38/2021

प्रथम पक्ष– अमित हरिहर बगैरह।
बनाम
द्वितीय पक्ष– विलेन्द्र हरिहर बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
10/12/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 22/2021 दिनांक 10/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) अमित हरिहर उम्र 30 वर्ष (2) अजय हरिहर उम्र 28 वर्ष दोनो पिता नंदकिशोर हरिहर ग्राम पोकला थाना कामडारा (3)प्रभा देवी उम्र 48 वर्ष पति नंदकिशोर हरिहर ग्राम पोकला थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) विलेन्द्र हरिहर उम्र 51 वर्ष पिता स्व0 रामचन्द्र हरिहर (2) प्रविण हरिहर उम्र 25 वर्ष पिता विनेन्द्र हरिहर दोनो ग्राम पोकला थाना कामडारा जिला गुमला के बीच बरसात का पानी आंगन से बाहर जाने को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 14:26:31 +05:30
Location: 192.168.1.2